छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा   चतुर्थ सत्र   अंक-16

रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2015

(चैत्र 4, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 एवं 07 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री भूपेश बघेल अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शंकर ध्रुवा के स्थान पर श्री संतराम नेताम, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद श्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है।

3. पृच्छा

श्री अमित अजीत जोगी एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने नियम 131 के अंतर्गत दी गई सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि सूचना विचाराधीन है।

4. बहिर्गमन

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सूचना पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री राजेन्द्र कुमार राय, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य ने पाटन, जिला दुर्ग में नसबंदी शिविरों में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री गिरवर जंघेल, सदस्य ने जिला राजनांदगांव के विकासखंड खैरागढ़ के किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा न दिये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ. विमल चोपड़ा
(2) श्री भोलाराम साहू
(3) श्री जनकराम वर्मा
(4) श्रीमती केराबाई मनहर
(5) श्री मोतीलाल देवांगन

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री श्यामबिहारी जायसवाल, सभापति ने पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ. खिलावन साहू
(2) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
(3) श्री लखन देवांगन
(4) श्री गिरवर जंघेल
(5) श्री राजशरण भगत
(6) श्री तोखन साहू
(7) श्री अंबेश जांगड़े

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 12 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

4. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

10. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्रीमती रमशीला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55 एवं समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34 प्रस्तुत की।

मांग संख्या 55 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, सियाराम कौशिक, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम मांग संख्या 35 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी भाई पटेल, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, श्रीमती देवती कर्मा, श्रीमती चंपादेवी पावले,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा, श्रीमती केराबाई मनहर, श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), श्री तोखन साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, सर्वश्री दीपक बैज, गोवर्धन सिंह मांझी, श्यामलाल कंवर, श्रवण मरकाम, केशव चंद्रा, (डॉ.) विमल चोपड़ा, बृहस्पत सिंह, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी),

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

11. उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

मानन्नीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - कल दिनांक 26 मार्च, 2015 को सायंकाल 7.00 बजे माननीय राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भोज का आयोजन किया जा रहा है।

वर्ष 2012-2013 हेतु इस सदन के माननीय सदस्य श्री देवजी भाई पटेल, तत्कालीन सदस्य श्री हृद्‌यराम राठिया को उत्कृष्ट विधायक तथा 5 वर्ष की कालावधि हेतु स्व. नंद कुमार पटेल को जागरूक विधायक के तौर पर पुरस्कृत किया जायेगा।

सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ समाचार पत्र के श्री चंद्रभूषण मिश्रा एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया ई.टी.व्ही. के रिपोर्टर श्री मनोज सिंह बघेल को क्रमश: उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर व श्री मनीष गीते, कैमरामेन को पुरस्कृत किया जायेगा।

आप सभी से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में कृपया उपस्थित हों।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से पुरस्कृत किये जाने वाले माननीय सदस्यों एवं पत्रकार साथियों को बधाई दी ।

12. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती रमशीला साहू, महिला बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

13. विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 153 (2) के अंतर्गत अनुदान की मांगों के लिए नियत अंतिम दिन चार बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि माननीय मंत्री जी का उत्तर जारी है। अत: उक्त नियम को शिथिल कर मैं विनियोग विधेयक को प्रस्तुत करने का समय मंत्री जी के उत्तर पूर्ण होने तक का समय निर्धारित करता हूं। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्‌वारा सहमति प्रदान की गई ।

14. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती रमशीला साहू, महिला बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. विनियोग विधेयक पुर:स्थापित करने एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा हेतु तिथि का निर्धारण

मानननीय अध्यक्ष ने को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 153 (1) के अंतर्गत अनुदान मांगों पर सभा द्वारा निर्धारित समयानुसार चर्चा दिनांक 26 मार्च, 2015 तक निर्धारित थी।

प्रत्येक अनुदान मांगों पर चर्चा आज दिनांक 25 मार्च, 2015 को पूर्ण हो गई है। तदनुसार अब नियम 153 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015) पुर:स्थापित होगा।

विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण के लिये मैं दिनांक 26 मार्च, 2015 की तिथि निर्धारित करता हूं। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत होगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

15. संकल्प

"यह कि सदन, भारत सरकार द्वारा पारित 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्याक 25)' के प्रभावशील होने के फलस्वरूप 'सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्यांक 46)' को निरसन किये जाने का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।"

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यानारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, सियाराम कौशिक, नवीन मारकण्डेय, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) विमल चोपड़ा, मोहन मरकाम, उमेश पटेल।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 4.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2015 (चैत्र-5, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा